उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ

अधिसूचना संख्याः– उ0प्र0वि0नि0आ0 / सचिव / विनियमावली / 08–2319
दिनॉकः 1 मई 2008

विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 181 के आधीन प्रदत्त शक्तियों के साथ पठित धारा–9, 61, 86(1) (क), 86(1) (ख) और 86(1)(ड़.) और इस निमित्त समर्थकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतदद्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों, सह–उत्पादन, ऊर्जा के पुनर्नवीकरण योग्य स्रोत और ऊर्जा के गैर–परम्परागत अन्य स्रोतों पर आधारित संयंत्रों से विद्युत की बिक्री के लिये विद्युत आपूर्ति और टैरिफ निर्धारण के निबंधन और शर्ते) विनियमावली, 2005, जो अधिसूचना संख्या यूपीईआरसी / सचिव / रैगुलेशन / 06–1288 दिनांक 23 मार्च, 2006 द्वारा दिनांक 2.3.07 के सरकारी गजट में प्रकाशित की गयी थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थातः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –

(क) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों, सह–उत्पादन, ऊर्जा के पुनर्नवीकरण योग्य स्रोत और ऊर्जा के गैर–परम्परागत अन्य स्रोतों पर आधारित संयंत्रों से विद्युत की बिक्री के लिये विद्युत आपूर्ति और टैरिफ निर्धारण के निबंधन और शर्ते) विनियमावली, (प्रथम संशोधन) विनियमावली–2008 कही जायेगी।

(ख) यह विनियमावली 1 मई 2008 से लागू होगी।

2. विनियम–6 के खंड छत्तीस के पश्चात 'परिभाषाओ' में निम्नलिखित बढ़ा दिये जायेगें।

(सैंतिस) ''सी.बी.जी.'' का तात्पर्य दिनांक 19.1.05 को अधिनियम की धारा 63 के आधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित 'वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत की प्राप्ति के लिये नीलामी प्रक्रिया से टैरिफ के निर्धारण के लिये दिशा निर्देश' से है।

अड़तीस) 'एस बी डी' का तात्पर्य केन्द्र सरकार द्वारा सी बी जी के आधीन बताये गये मानक निलामबोली दस्तावेजों से है।

(उन्तालीस) 'एन ई पी' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 12.2.05 को अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति से है।

(चालीस) 'टैरिफ नीति का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन दिनांक 6.1.06 को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीति से है।'

3. विनियम 17–(एक) के विद्यमान परन्तुक के पहले निम्नलिखित परन्तुक बड़ा दिया जायेगाः

''परन्तु यह कि किसी विद्युत क्रय अनुबन्ध में पक्षकारों के मध्य हुये या सहमत टैरिफ से भिन्न कोई व्यवस्था, जो कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के कैप्टिव विद्युत उत्पादन के संबंध में कार्यपद्वति निर्देशों के लागू होने के पूर्व प्रवृत्त थी, आयोग के अनुमोदन से जारी रहेगी। अनुबन्ध के पक्षकार टैरिफ के साथ आयोग के अनमोदन के लिए पुनः बातचीत से सहमत हुए अनुबन्ध को प्रस्तुत करेंगे जैसा कि इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट है।

4. अध्याय पॉच, अध्याय चार के पश्चात प्रतिस्पर्धात्मक नीलाम बोली निम्न प्रकार बढ़ा दी जायेगी।

''(42) नगर अपशिष्ट संयत्र के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु विकासकर्ता बाजार के खोज के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुसरण करेगा :–

1. विकास कर्ता विशेष उद्‌देश्य प्रणाली का विकास करेगा जो सभी कार्यो और ईधन से जुड़ी समस्याओं और अनुबन्धों लिए उत्तरदायी होगी।
2. विकास कर्ता नीलामी दस्तावेजों अर्थात् आर0एफ0क्यू0 और आर0एफ0पी0 दस्तावेजों को विकसित करेगा।
3. दस्तावेजों को विकसित करते समय एम0ओ0पी0 भारत सरकार द्वारा उन्मुक्त मानक नीलामी दस्तावेज दिशा निर्देश संबंधी दस्तावेज होगे।

4. आयेाग इस तथ्य से अवगत है कि एस0बी0डी0 को बड़े संन्यत्रों के लिए बनाया गया है और यह नियत विद्युत आपूर्ति के संबंध में है जबकि नगर पालिका अपशिष्ट परियोजनायें आकार में बहुत ही लघु है। अतः जो भी परिवर्तन अपेक्षित हो उन्हें किया जा सकता है और नीलाम बोली आमन्त्रित करने के लिए आयोग के अनुमोदन के लिए उसके समक्ष रखा जा सकता है।
5. विकास कर्ता का यह विकल्प होगा कि वह दो चरणों पर या एक चरण में नीलाम बोली का आयोजन करें जैसा कि वह उचित समझे।
6. प्रतिस्पर्द्धात्मक नीलाम बोली के माध्यम से अन्वेषित मूल्य को आयेाग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 और 86 और राष्ट्रीय टैरिफ नीति की धारा 6.41(1) और राष्ट्रीय विद्युत नीति की धारा 5.10.5 के अनुसार अपनाया जायेगा।
7. विशेष प्रयोजन प्रणाली (एस0पी0वी0) कंपनी का स्वामित्व सफल नीलाम बोली धारकों को अंतरित किया जायेगा।

8. क्षेत्र का लाइसेन्सधारी विद्युत को उस टैरिफ पर स्वीकार करेगा जो आयोग द्वारा अपनाया जाये।
9. सौर विद्युत के संबंध में भिन्न याचिका विचाराधीन है।
10. किसी अन्य गैर परम्परागत स्रोत से संबंधित विकासकर्ता, यदि विनियामावली में दिये गये टैरिफों को किसी विशिष्ट स्थिति में अप्रयोज्य पाये जायें, उपरोक्त प्रक्रिया को अपना सकता है जिससे टैरिफ के संबंध में बाजार की दरों का पता लग सके।

5— अनुसूची—1 में कैप्टिव उत्पादन संयत्र द्वारा विद्युत की ब्रिकी के लिए टैरिफ में क(1) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायेगा

परिवर्तनीय लागतः— किसी कैप्टिव उत्पादन संयत्र के संबंध में प्रति यूनिट परिवर्तनीय लागत उसकी स्थापित यूनिट क्षमता के आधार पर होगी और उसमें उतनी वृद्धि की जा सकेगी जितनी क्षमाही के आधार पर आयोग द्वारा निश्चित की जाये और यह वृद्धि कोयला कंपनियों एवं भारत सरकार के कोयला मन्त्रालय की नीति द्वारा घोषित कोयलें की दरों का परीक्षण और अन्य सुसंगत लागत का ध्यान रखते हुए की जायेगी जिससे वृद्धि गुणॉक प्राप्त किया जा सके और उसे लागू किया जायेगा। दिनांक 1—4—08 से भुगतान की जाने वाली परिवर्तनीय लागत अस्थायी रूप से निम्नलिखित दर से भुगतान की जायेगी और उसका समायोजन आयोग द्वारा कोयले की मूल्य का विनिश्चय करने के बाद किया जायेगा।

परिवर्तनीय लागत(पैसा／यूनिट)			
वित्तीय वर्ष	200 मेगावाट से कम	200／210／250 मेगावाट तक सेट	500 मेगावाट और ऊपर सेट
2008—09	97.81	84.36	81.83

6— विद्यमान विनियम 30 को विनियम 30 (एक) पढ़ा जायेगा और विनियम 30 (एक) के पश्चात निम्नलिखित उपबन्ध बढ़ा दिया जायेगा।

1. पीएलएफ के प्रयोजन के लिए वर्ष का संबध चीनी वर्ष से होगा और प्रथम चीनी वर्ष 1—10—07 से 30—9—08 तक होगा।
2. गैर पेरायी सत्र के दौरान 63 प्रतिशत से ऊपर पीएलएफ के लिए प्रोत्साहन सम्मिलित दर निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित दरो के अनुसार लागू होगा।

पीएलएफ प्रतिशत	विद्युत की दर जिसमें वृद्धिमान और प्रोत्साहन सम्मिलित है (रूपये／यूनिट)		
	2007—08	2008—09	2009—10
63 से 66	3.42	3.61	3.81
66 से 72	3.58	3.78	3.99
72 से ऊपर	3.74	3.95	4.17

3. जब कभी यह संभावना हो कि संयत्र का पी0एल0एफ0 किसी विशिष्ट मास में 63 प्रतिशत से ऊपर हो सकता है तो सहउत्पादन संयत्र द्वारा पूर्ववर्ती मास के 20वें दिन तक लाइसेन्सधारी को सूचना दी जायेगी। लाइसेन्सधारी प्रस्ताव को स्वीकार या निरस्त कर सकता है। यदि लाइसेन्सधारी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करेगा तो यह समझाा जायेगा कि लाइसेन्सधारी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और संयत्र इसके लिए स्वतन्त्र होगा कि वह उत्पादन करे और किसी अन्य व्यक्ति को आपूर्ति करे जो कि र्निबाध पहुॅच विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार होगा और अननुसूचित आयात के माध्यम से होगा। सूचना और अस्वीकार के संबंध में कोई अन्य व्यवस्था पक्षकारों की सहमति से तय की जा सकती है।

4. 63 प्रतिशत पी0एल0एफ0 से ऊपर इस प्रकार क्रय की गयी विद्युत के संबंध में सी0एन0सी0ई0 विनियमावली के विनियम–29 के अधीन 7.5 प्रतिशत के आदेशात्मक उपभोग की गणना के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

7. इस विनियिमावली को अंग्रेजी में बनाया गया तथा हिन्दी में अनुवाद किया गया है। विवाद की दशा में अंग्रेजी विनियमावली ही मान्य होगी।

आयोग के आदेश से

अरुण कुमार श्रीवास्तव
सचिव
उ0प्र0विद्युत नियामक आयोग,
लखनऊ